प्रश्न सं. [क्र. 2402] परिशिष्ट - अ
प्र.क्र.2402

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, वृत्त–2, अयोध्या नगर, भोपाल

क्र. 1029/तक.शा./2024

भोपाल दि.24/06/2024

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–भोपाल

विषयः– अर्जित भूमि का उपयोग। (अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 2402) श्री दिनेश गुर्जर।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 79/भू–अर्जन/2024, दि.21.06.2024।

उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न के तारतम्य में वांछित बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सही है कि भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 3अ/82 वर्ष 1987–88 मे आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ने किस दिनांक को धारा 17 भू–अर्जन अधिनियम 1984 के उपयोग की अनुमति दिए जाने एवं भू–अर्जन अधिकारी भोपाल द्वारा दिनांक 30/08/1991 को अवार्ड पारित किया लेकिन भूमि का उपयोग वर्ष 2023–24 तक भी नही किया गया।	नरेला शंकरी भोपाल की 132.22 एकड़ शासकीय भूमि का अर्जन दिनांक 30/08/1991 को पारित अवार्ड के द्वारा मण्डल को भूमि विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु हस्तांतरित की गई थी। मण्डल को अधिपत्य प्राप्त होने के उपरांत ही अर्जित भूमि पर विभिन्न संस्थाओं से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरांत चरणबद्ध योजना के रुप में 48.03 एकड़ भूमि पर वर्ष 1994–95 से राजीव नगर अयोध्या फेस–3 में कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया एवं 1047 भवनों का निर्माण पूर्ण कर हितग्राहियों को अधिपत्य सोंपा गया। इसके साथ ही 269 एम.आई.जी. एवं 97 एच.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य कर हितग्राहियों को अधिपत्य सोंपा गया। कालोनी दि.01.08.2010 से नगर निगम भोपाल को हस्तांतरित है। योजना के द्वितीय चरण में 84.19 एकड़ भूमि मे से 3.90 एकड़ भूमि पर

		मयूरी परिसर में 72 एच.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य कालोनी का हस्तांतरण दि.31.03.2022 को रहवासी समिति को किया गया। योजना के अगले चरण में अयोध्या एक्सटेंशन में 53.23 एकड़ भूमि पर विभिन्न श्रेणी के 919 ईकाईयों का निर्माण एवं विकास किया जाकर हितग्राहियों को अधिपत्य सोंपा गया है। कालोनी दि.31.03.2022 से नगर निगम को हस्तांतरित है। चरणबन्द्ध योजना के अगले चरण में 27 एकड़ भूमि पर वर्ष 2022 से 40 भवनों का निर्माण अंतिम चरण में है तथा शेष भूमि पर प्रस्तावित प्रकोष्ठ भवनों मे से 240 प्रकोष्ठों की योजना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस प्रकार अर्जित भूमि में से अधिकांश भाग पर चरणबद्ध तरीके से योजनओं का कियान्वयन पूर्ण किया गया है।
(ख)	भोपाल जिले के ग्राम नरेला शंकरी के किस किसान की किस खसरा नम्बर के कितने रकबे पर दिनांक 30/08/1991 को वार्ड आदेश पारित करने के बाद भी प्रश्नांकित दिनांक तक म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण कर विक्रय की कार्यवाही नही कर पाया?	बिन्दु क.–(क) में वर्णित जानकारी के अनुसार मण्डल द्वारा अर्जित भूमि के अधिकांश भाग पर भवन एवं भूखण्डों का विकास कर विक्रय किया जा चुका है। सुरम्य परिसर की 27.00 एकड़ भूमि पर भी योजनाओं का कियान्वयन प्रगति पर है।
(ग)	धारा 17 का प्रकरण मे उपयोग किए जाने का क्या कारण रहा है प्रकरण मे धारा 17 का उपयोग करने के बाद 1991 मे पारित अवार्ड से अर्जित भूमि पर वर्ष 2023–24 मे सुरम्य परिसर की कार्यवाही करने का क्या क्या कारण रहा है।	बिन्दु क.--(क) में वर्णित जानकारी के अनुसार मण्डल द्वारा चरणबद्व तरीके से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माण एवं विकास कार्य कर भवन एवं भूखण्डों के विक्रय की कार्यवाही की गई है। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियामक संस्थाओं से अनुमति/ अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरांत वर्ष 2022 से सुरम्य परिसर की योजना

		भी कियान्वयन में ली जा चुकि है।
(घ)	अर्जित भूमि का किस–किस किसान को प्रश्नांकित दिनांक तक भी मुआवजा भुगतान नही किया, मुआवजा भुगतान हेतु भू–अर्जन अधिकारी भोपाल ने किस किस किसान को किस–किस दिनांक को सूचना पत्र जारी किए उसकी प्रति सहित बतावें।	मण्डल द्वारा अर्जित भूमि के मुआवजा की राशि रु.6521857.00 कलेक्टर भोपाल के माध्यम से रिफरेंस कोर्ट में जमा कराई गई है। मुआवजा वितरण संबंधी जानकारी भू–अर्जन अधिकारी कलेक्टर कार्यालय से संबंधित है।

कार्यपालन यंत्री
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल संभाग क्र. 4 भोपाल

उपायुक्त,
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल वृत्त क्र.2 भोपाल